यूपीसीडा ने एक्स-लीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान- 2041 तैयार किया, 85 गांवों को किया गया अधिसूचित

लखनऊ-कानपुर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा

अच्छी खबर | 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 80 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल कारिडोर विकसित करेगा। इसके लिए एक्स लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 मंजूर कर लिया गया है।

इस योजना के तहत लखनऊ जिले के 45 और उन्नाव के 40 गांवों को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। यह लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

मास्टर प्लान 2041 के तहत इसे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड को मौजूदा एनएच-27 के साथ जोड़ा गया है। मास्टर प्लान में इन सभी परियोजनाओं को मल्टीमॉडल ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की योजना है। मास्टर प्लान -2041 के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारी विभागों, जैसे यूपीईडा, यूपीडीआईसी, पंचायती राज कार्यालय, सीटीसीपी, राज्य पर्यटन विभाग, यूपीपीसीबी, एलडीए, कमिश्नर-लखनऊ और उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इन विभागों ने औद्योगिक सुविधाओं पर जोर दिया है। सड़कों की चौड़ाई पर पुनर्विचार जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है।

- मल्टीमॉडल ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की योजना

> मास्टर प्लान में एक्स लीडा को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर से जोड़ा गया है। यह पहल न केवल निजी निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालेगी। इस मास्टर प्लान को हाल में यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई।
>
> **मयूर माहेश्वरी**, सीईओ यूपीसीडा

इससे यह होंगे लाभ

- एससीआर में शामिल जिलों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित कर लखनऊ की भीड़भाड़ को कम किया जाएगा
- इस पहल से क्षेत्र में परिवहन, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी
- लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले हाई-स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एससीआर के विकास के लिए मजबूत नींव रखेगा।

यूपी में जल परिवहन जल्द शुरू होगा

| 2 | **लखनऊ, विशेष संवाददाता।** उत्तर प्रदेश में जल्द उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास का काम शुरू होगा। इसके तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कर सलाहकार समितियां बनाई जाएंगी। इसमें जलमार्ग व शिपिंग से जुड़े विशेषज्ञ रखे जाएंगे। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण नियमावली-2024 का मसौदा जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके तहत बनने वाले प्राधिकरण में नियुक्त होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या पहले चरण में सीमित होगी।

इस पर प्रशासनिक खर्च के लिए हर साल पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह समिति जल मार्गों के विकास व पर्यावरणीय नजरिए से उसके संरक्षण व अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाएगी। प्राधिकरण पोत का पंजीकरण, पंजीयन नवीनीकरण व पोत का सर्वे व प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। इससे उनकी आय भी होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि भी बनेगी।

- नियमावली का मसौदा जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा
- इसके तहत बनने वाले प्राधिकरण में होगी कर्मियों की नियुक्ति

यह होंगे लाभ

- इससे आम लोगों को सुगम व प्रदूषण रहित जलमार्ग का विकल्प आने जाने के लिए उपलब्ध होगा।
- प्रदेश के उत्पादों का देश के अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात बढ़ेगा
- खास तौर पर ओडीओपी उत्पादों एवं एमएमएमई उत्पादों को विशेष लाभ होगा।
- प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग के अलावा नए राज्य जलमार्ग का सृजन व विकास हो सकेगा।
- प्रदेश की नदियों के तटों पर बसे तीर्थ स्थलों व ऐतिहासिक स्थलों का भी विकास होगा